

EAST CENTRAL RAILWAY
YELLOW BULLETIN
(May -2025, ISSUE NO. 83)

Irregularities/Deficiencies noted during Headquarter Inspections: -

1.	All Right Signal exchange sheds were not provided at Jiwdhara station under SPJ. division and Wyndhamganj station under DHN. division.
2.	During inspection at NYO station under SEE division on 18.05.2025, two fire extinguishers were found available, but their testing was overdue since 17.05.2025.
3.	At Level Crossing Gate No. 78/C/3E in between CDMR-GAQ under DDU division, Railway Act Board was not available and the hooter was found to be defective.
4.	At Level Crossing Gate No. 21/Spl in TEA yard under DNR. Division, only one out of the three tri-colour torches was functional and a speed breaker on the east side was not provided.
5.	T-369(3b) Practices at Wyndhamganj, under DHN division – While issuing T-369(3b), the following lapses by Station Masters were commonly observed: <ul style="list-style-type: none">• Signal names were not written in capital letters.• The full station name was not mentioned.• Full signature was not affixed.
6.	At Wyndhamganj station under DHN. division, TRD department had not provided fitness certification for the hot axle siding.
7.	At Khagaria station under SEE. division, acknowledgments for Yellow Bulletins, Red Bulletins, Safety Alerts, JPOs, Instructions, etc. were found without dates.
8.	Shunt Signals at Mansi Station under SEE division are required for lines no. 1, 2, 3 & 4 to minimize detention due to shunting operations.
9.	In the GWR, the location of LC No. 66/Spl/T at KRBP Yard under Sonpur Division is incorrectly mentioned as km 47/5-6, whereas the actual location is km 47/28-29.

SPECIAL ATTENTION: -

1. Ensure the proper functioning and full charging of walkie-talkie sets before issuing them to crew members. Avoid using mobile phones as a substitute for walkie-talkies.
2. Ensure the proper functioning of Tri colour-Torches used by SMs/Guards/LPs/ALPs/Gatemen.
3. Ensure accurate recording of emergency and other operations, with all counters matching the corresponding entries in relevant registers.
4. Ensure timely circulation of Safety Bulletins, Alerts, Operating Circulars, Instructions, etc. to all concerned staff, with dated acknowledgments obtained from the staff.

Divisions are advised to immediately circulate this information in yellow colour printouts to all concerned personnel for prompt action and compliance. A compliance report should be submitted to this office for onward submission.

MANOJ
KUMAR
RANJAN
(M. K. Ranjan)
Dy COM/G/ECR

Digitally signed
by MANOJ
KUMAR RANJAN
Date: 2025.06.10
17:37:11 +05'30'

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505

Dated - 10.06.2025.

Copy to:

1. PCOM & PCSO- for kind information please.
 2. DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for information please.
 3. Sr. DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
- ZRTI MFP & BHULI for information please.

**पूर्व मध्य रेल
येलो बुलेटिन
(मई - 2025 अंक सं. 83)**

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए:-

1	समस्तीपुर मंडल के जिवधारा स्टेशन पर और धनबाद मंडल के विंढमगंज स्टेशन पर ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज के लिए शेड उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2	दिनांक 18.05.2025 को सोनपुर मंडल के नयागांव स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान दो अग्निशामक यंत्र उपलब्ध पाए गए, लेकिन उनकी परीक्षण की अवधि 17.05.2025 को ही समाप्त हो चुकी थी।
3	पं० दीन दयाल उपाध्याय मंडल के अंतर्गत चंदौली मंडवार – गंजख्वाजा के बीच समपार संख्या 78/C/3E पर, रेलवे अधिनियम बोर्ड उपलब्ध नहीं था और हूटर खराब अवस्था में पाया गया।
4	दानापुर मंडल के अंतर्गत तरेगना यार्ड में समपार संख्या 21/Spl. पर, तीन ट्राईकलर टॉच में से केवल एक कार्यशील स्थिति में पाया गया और पूर्व दिशा की ओर स्पीड ब्रेकर उपलब्ध नहीं था।
5	धनबाद मंडल के विंढमगंज स्टेशन पर टी-369(3बी) जारी करते समय, यह आमतौर पर देखा गया है कि स्टेशन मास्टर द्वारा: <ul style="list-style-type: none">• सिग्नल का नाम बड़े अक्षरों में नहीं लिखा गया था,• स्टेशन का पूरा नाम बड़े अक्षरों में नहीं लिखा था और• पूर्ण रूप से हस्ताक्षर नहीं किया गया था।
6	धनबाद मंडल के अंतर्गत विंढमगंज स्टेशन पर, टीआरडी विभाग द्वारा हॉट एक्सल साइडिंग के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।
7	सोनपुर मंडल के खगड़िया स्टेशन पर येलो बुलेटिन, रेड बुलेटिन, सुरक्षा अलर्ट, JPO, निर्देश आदि के पावती बिना तिथि के पाए गए
8	सोनपुर मंडल के अंतर्गत मानसी स्टेशन पर लाइन संख्या 1, 2, 3 और 4 के लिए शंट सिग्नल की आवश्यकता है ताकि शंटिंग संचालन के दौरान विलंब को कम किया जा सके।
9	सोनपुर मंडल के खुदीराम बोस पूसा के यार्ड में समपार संख्या 66/Spl. /T का स्थान गलत रूप से कि.मी 47/5-6 उल्लेखित है, जबकि इसका वास्तविक स्थान किमी 47/28-29 है।

विशेष रूप से ध्यान दें :

1. चालक दल को वॉकी-टॉकी सेट जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे ठीक से कार्य कर रहे हों तथा पूरी तरह से चार्ज हों। मोबाइल फ़ोन का उपयोग वॉकी-टॉकी के विकल्प के रूप में न करें।
2. स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं गेटमैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्राई – कलर टॉच की सही कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें।
3. आपातकालीन तथा अन्य संचालन की प्रविष्टियाँ सटीक रूप से दर्ज करें तथा संबंधित रजिस्ट्रों में दर्ज प्रविष्टियों और काउंटर्स में मिलान सुनिश्चित करें।
4. सुरक्षा बुलेटिन, अलर्ट, परिचालन परिपत्र, निर्देश आदि का समय से वितरण सुनिश्चित करें तथा संबंधित कर्मचारियों से दिनांक सहित पावती प्राप्त करें

मंडलों को सलाह दी जाती है कि सर्व संबंधित को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/विशेष ध्यान के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

MANOJ Digitally signed
by MANOJ
KUMAR KUMAR RANJAN
RANJAN Date: 2025.06.10
17:29:10 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)

उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा.)

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

दिनांक 10.06.2025.

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलोबुलेटिन/ 87 /505,

प्रतिलिपि-

- i. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
- ii. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू. सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।
- iii. वरि. मं. परि. प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी. डी. यू. सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
- iv. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ